

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT  
DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 07/2023-State Tax

Dated: 3.../07/2023

No. F.3 ( 06 )/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/ 591 – In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee referred to in section 47 of the said Act in respect of the return to be furnished under section 44 of the said Act for the financial year 2022-23 onwards, which is in excess of amount as specified in Column (3) of the Table below, for the classes of registered persons mentioned in the corresponding entry in Column (2) of the Table below, who fails to furnish the return by the due date, namely:—

Table

Serial Number	Class of registered persons	Amount
(1)	(2)	(3)
1.	Registered persons having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the relevant financial year.	Twenty-five rupees per day, subject to a maximum of an amount calculated at 0.02 per cent. of turnover in the State or Union territory.
2.	Registered persons having an aggregate turnover of more than five crores rupees and up to twenty crore rupees in the relevant financial year.	Fifty rupees per day, subject to a maximum of an amount calculated at 0.02 per cent. of turnover in the State or Union territory.

Provided that for the registered persons who fail to furnish the return under section 44 of the said Act by the due date for any of the financial years 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 or 2021-22, but furnish the said return between the period from the 1<sup>st</sup> day of April, 2023 to the 30<sup>th</sup> day of June, 2023, the total amount of late fee under section 47 of the said Act payable in respect of the said return, shall stand waived which is in excess of ten thousand rupees.

By Order and in the Name of the  
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,



(Ravinder Kumar)  
Dy. Secretary (Exp.- I)

No. F.3 ( 06 )/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/ 59/

Dated: 03.10.2023

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Principal Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.



(Ravinder Kumar)  
Dy. Secretary (Exp.- I)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
वित्त (व्यय-1) विभाग  
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या- 07/2023-राज्य कर

दिनांक: 03/07/2023


सं.फा.03( 06 )/वित्त(व्यय-1)/2023-24/डीएस-1/59/ : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2022-23 से उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी के संबंध में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लेखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्गों, जो देय तारीख पर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो जाते हैं, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 में विनिर्दिष्ट विलंब फीस की रकम को अधित्यक्त करते हैं, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट रकम से अधिक है, अर्थात्:-

सारणी

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	रकम
(1)	(2)	(3)
1.	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका उस वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपए तक संकलित आवर्त है।	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में आवर्त 0.02 प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए पच्चीस रुपए प्रतिदिन।
2.	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका उस वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक और बीस करोड़ रुपए तक है।	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में आवर्त 0.02 प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए पचास रुपए प्रतिदिन।

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए जो उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 या 2021-22 किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं किन्तु 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 के बीच की अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन उक्त विवरणी के संबंध में संदेय विलंब शुल्क की कुल रकम का अधित्यजन कर दिया जाएगा जो 10 हजार रुपए से अधिक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

  
(रविन्द्र कुमार)

उप सचिव (व्यय- I)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 प्रधान आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- 5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।



(रविन्द्र कुमार)

उप सचिव (व्यय-1)

68/1/6